In the court of ADJ-VIII Kaimur at Bhabua
Present- Chandra Bir Singh
ABP No.-911 of 2026
Complaint No.-3517 of 2022

# न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम् जिला–कैमूर (भभुआ)

**अग्रिम जमानत आवेदन कमांक–911 / 2026**

1. सुबेदार सिंह, पिता–बहादुर सिंह, उम्र करीब–70 वर्ष
2. इन्द्रजीत सिंह, पिता–सुबेदार सिंह, उम्र करीब–50 वर्ष
3. उपेन्द्र सिंह, पिता–सुबेदार सिंह, उम्र करीब–35 वर्ष
4. विजयंता देवी, पति–इन्द्रजीत सिंह, उम्र करीब–40 वर्ष
5. चंदा देवी, पिता–इन्द्रजीत सिंह, उम्र करीब–24 वर्ष

   पांचों सा0–ग्राम–जिगहट, थाना–चेनारी, जिला–रोहतास
6. संगीता देवी, पति–रामाश्रय सिंह, उम्र करीब–35 वर्ष

   सा0–पचौरा, थाना–चेनारी, जिला–रोहतास।

.....आवदेकगण / अभियुक्तगण।

बनाम

राज्य द्वारा परिवादिनी रेशमी देवी .....अभियोजन पक्ष।

परिवाद पत्र सं0–3517 / 2022

संज्ञानित धारा–323, 341, 379, 504, 34 भा0दं0वि0

1. आवेदकगण की ओर से –अधिवक्ता श्री बलदाउ सिंह।
2. अभियोजन की ओर से –विद्वान अ0लो0अभि0–श्री राम दयाल सिंह।

**दिनाक–**
**04.06.2026**

## आदेश

**1.** आवेदकगण / अभियुक्तगण **1. सुबेदार सिंह, 2. इन्द्रजीत सिंह, 3. उपेन्द्र सिंह, 4. विजयंता देवी, 5. चंदा देवी एवं 6. संगीता देवी** की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह आवेदन, परिवादिनी रेशमी देवी के परिवाद पर आवेदकगण / अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र एवं शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रतिलिपी पूर्व में अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है।

**2.** परिवाद का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस मामले की परिवादिनी रेशमी देवी द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोहनियां के न्यायालय में इस आशय का परिवाद दर्ज कराया गया कि उसने अपने पुत्र चंदन कुमार की शादी चंदा देवी के साथ मई 2021 में की थी, शादी के बाद चंदा देवी विदा होकर अपने ससुराल में आई तथा दूसरे दिन चंदा देवी अपने पति / परिवादिनी के पुत्र चंदन कुमार को काला–कलुटा कहकर उसके साथ रहने से इनकार करने लगी। परिवादिनी उनके बीच बढ़ रहे मन–मुटाव को कम करने का प्रयास करती रही इसी बीच चंदा देवी बिना बताये अपने मायके चली गयी। पता लगने पर परिवादिनी के पुत्र चंदन कुमार द्वारा मान–मनौव्वल कर चंदा देवी को अपने घर लाया गया। चंदा देवी लगभग चार माह पूर्व घर का

**लगातार**
**04.06.2026**

सारा गहना व कपड़ा लेकर अपने मायके चली गयी, जब परिवादिनी के पुत्र चंदन कुमार ने अपने ससुराल जाकर चंदा देवी को लाने का प्रयास किये तो परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तगण चंदा देवी को भेजने से इनकार कर दिये तथा चंदन कुमार के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो गये। दिनांक–21.12.2022 को पंचायती कराने हेतु समय निर्धारित हुआ तथा उक्त तिथि को परिवादिनी के देर से पहुंचने का बहाना बनाकर परिवादिनी के साथ गाली–गलौज करते हुये उसका बाल पकड़कर पटक दिये तथा लात–मुक्का से मारने लगे तथा उसे बचाने आये उसके पति एवं पुत्र को भी अभियुक्तों ने घेर कर मारपीट किया। मारपीट के क्रम में अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह परिवादिनी के गले से एक भर का सोने का चेन, अभियुक्त सुबेदार सिंह परिवादिनी के पति के पॉकेट से दो हजार रुपया तथा अभियुक्त उपेन्द्र सिंह परिवादिनी के पुत्र के हाथ से टाईटन घ्घड़ी दो हजार रुपये का छिन लिये तथा धमकी दिये कि चंदा देवी ससुराल नहीं जायेगी।

3. आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह निवेदन किया गया कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस मामले में किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रकृति का यह प्रथम और एकमात्र जमानत आवेदन है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई पूर्विक आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किये हैं। उभयपक्षों के मध्य वैवाहिक मतभेद है। चंदा देवी परिवादिनी से अलग रहती है तथा अन्य अभियुक्तगण चंदा देवी के रिश्तेदार हैं। चंदा देवी की शादी परिवादिनी के पुत्र चंदन कुमार के साथ हुयी थी, परंतु चंदन कुमार अपनी पत्नी चंदा देवी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानते हुए जमानत बंधपत्र दाखिल करने को तैयार व रजामंद है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

5. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले के उपरोक्त नामांकित आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–323, 341, 379, 504, 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है, जिनमें से धारा–379 भा0दं0वि0 को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं। अभियुक्तों के कथित कब्जे से छिनी गयी वस्तु की बरामदगी नहीं है। उभयपक्षों के मध्य वैववाहिक मतभेद है। आवेदकगण में तीन महिलायें हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**लगातार**
**04.06.2026**

6. परिणामस्वरूप आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. सुबेदार सिंह, 2. इन्द्रजीत सिंह, 3. उपेन्द्र सिंह, 4. विजयंता देवी, 5. चंदा देवी एवं 6. संगीता देवी** की गिरफ्तारी के समय या इस आदेश प्राप्ति से तीन सप्ताह के अंदर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष–आत्मसमपर्ण करने या गिरफ्तार होने की दशा में उनकी ओर से विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0 10,000 रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्
कैमूर,भभुआ